न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ,रानीवाडा, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रकाशचन्द्र अग्रवाल , आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 15 / 2021

प्रार्थीगण

1. जोगाराम पुत्र नारणाराम
2. नारणाराम पुत्र गलबाराम
3. प्रकाश कुमार पुत्र नारणाराम
4. वीराराम पुत्र नारणाराम जातियान घांची निवासीयान आजोदर तहसील रानीवाडा जिला जालोर

अप्रार्थीगण

1. तगा पुत्र हमीरा
2. उगीदेवी पत्नि तगाराम जातियान घांची निवसीयान आजोदर तहसील रानीवाडा जिला जालोर
3. भूमिधारी तहसीलदारजी रानीवाडा
4. शाखा प्रबन्धक एस.बी.बी.जे. वर्तमान में एस.बी.आई शाखा रानीवाडा

अन्तर्गत धारा 111,128 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति :–

1. प्रार्थीगण अधिवक्ता श्री अमृत कटारिया।
2. अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से वकील श्री मोहनलाल विश्नोई।
3. अप्रार्थी संख्या 3 राजपेरोकार उपस्थित।

निर्णय

दिनांक – 05.10.2021

1. प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्व अंतर्गत धारा 111,128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसके तथ्य संक्षेप में प्रार्थना पत्र के अनुसार इस प्रकार है कि मौजा मौजा आजोदर तहसील रानीवाडा में प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 2 की सामलाती खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 33 रकबा 2.54 हेक्टेयर व खसरा नम्बर 34 रकबा 1.04 हेक्टेयर आई हुई है। जिसकी खातेदारी वर्तमान राजस्व रेकर्ड में प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 2 के नाम दर्ज है। प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 2 की उक्त आराजी के पश्चिम दिशा में अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 35 रकबा 1.96 हेक्टेयर आई हुई है। जिसकी खातेदारी वर्तमान राजस्व रेकर्ड में अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज है। प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 2 की खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 33 व 34 अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 35 के बीच की माठ को अप्रार्थी 1 द्वारा जबरदस्ती कानून के हाथ में लेकर नष्ट कर दिया, जिससे मौके पर प्रार्थीगण की आराजी व अप्रार्थी संख्या 1 की आराजी की माठ अस्पष्ट होने पर प्रार्थी संख्या 1 की ओर से श्रीमान तहसीलदार रानीवाडा से पैमाईश हेतु आदेश जारी करवाया तथा श्रीमान तहसीलदार रानीवाडा के आदेश क्रमांक 16 दिनांक 15.06.2021 की पालना में हल्का पटवारी [illegible] सीमांकन करने लगे तथा पश्चिमी दक्षिणी माठ के निशान करवाये गये वो [illegible] अप्रार्थी संख्या 1 ने स्वीकार नहीं किये तथा हल्का पटवारी द्वारा सीमाकंन [illegible] किया गया। इस प्रकार मौके पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.11.10 10:39:00 IST
Reason: SelfAttested

सीमा का विवाद होने से सीमाकंन नहीं किया जा सका। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 2 व अप्रार्थी संख्या 1 की आराजीयान की पैमाईश करवा कर उक्त आराजी का सीमाकंन कर स्थाई सीमा चिन्ह पत्थर गड्ढी किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अप्रार्थी संख्या 2 प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 33 व 34 की सहखातेदार व अप्रार्थी संख्या 1 की पत्नि होने से उनकी आसम में दुरभी संधि होने से उन्हे बतौर अप्रार्थी पक्षकार संयोजित किया गया हैं, ताकि अदालत हाजा द्वारा पारीत आदेश की पालना सुनिश्चित हो सके तथा अप्रार्थी संख्या 4 के यहां उक्त विवादीत आराजी रहन होने से उन्हे भी ओपचारिक पक्षकार बनाया गया है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार कर मौजा आजोदर मे स्थित प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 2 की सामलाती खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 33 रकबा 2.54 हेक्टेयर व खसरा नम्बर 34 रकबा 1.04 हेक्टेयर व अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 35 रकबा 1.96 हेक्टेयर की पैमाईश करवा कर प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 2 की उक्त आराजी खसरा नम्बर 33, 34 तथा अप्रार्थी संख्या 1 की उक्त आराजी खसरा नम्बर 35 के बीच की माठ कायम कर स्थाई सीमा चिन्ह पत्थर गड्ढी कायम करने के आदेश फरमावें।

2. प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गए। अप्रार्थी संख्या 1 से 2 व अप्रार्थी संख्या 3 राजपेरोकार द्वारा जवाब पेश किया गया। तथा अप्रार्थी संख्या 4 की ओर से बाद तामिल नोटिस कोई उपस्थित नहीं होने से इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के विद्वांन अधिवक्ता व राजपेरोकार की बहस सुनी गई

3. अप्रार्थी संख्या 3 राजपेरोकार द्वारा जवाब व बहस में व्यक्त किया कि मौजा आजोदर के खाता संख्या 441 में खसरा नम्बर 33 व 34 रकबा क्रमश 2.54, 1.04 हेक्टेयर की भूमि जोगाराम पुत्र नारणाराम वगैरह जाति घांची के नाम खातेदारी दर्ज है। प्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी खसरा के पडौसी खसरा नम्बर 35 रकबा 1.95 हेक्टेयर आयी हुई है जिसमें तगा पुत्र हमीरा घांची का नाम दर्ज है। मौजा आजोदर के खसरा नम्बर 33 एवं 33, 34 के मध्य सीमा का विवाद है। सीमाकंन रिपोर्ट संलग्न है। मौजा आजोदर के खसरा नम्बर 33 व 34 रकबा क्रमश 2.54, 1.04 हेक्टेयर राजस्व रेकर्ड में दर्ज है तथा खसरा संख्या 35 रकबा प्रार्थीगण की खातेदारी से लगता हुआ है।

4. अप्रार्थीगण के विद्वांन अधिवक्ता द्वारा बहस में जवाब के कथनों का दोहराना करते हुए बताया कि प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र मौजा आजोदर के खसरा नम्बर 33 ,34 की पत्थर गढ़ी कायम करने हेतु पेश किया है, जबकि विवादीत खसरा नम्बर 33, 34 की अप्रार्थी संख्या 2 तगी सहखातेदार हैं। खसरा नम्बर 33 ,34 की पैमाईश का आदेश तहसीलदार रानीवाडा से गलत व पीठ पिदे करवाया गया हैं। खसरा नम्बर 33 व 34 के सहखातेदार अप्रार्थी संख्या 2 उगीदेवी की पैमाईश आवेदन पत्र में कोई सहमति नहीं ली गई है। तथा सहमति पत्र पर कुटरचित नाम लिखकर बिना हस्ताक्षर करवाये ही तहसीलदारजी रानीवाडा को अंधेरे में रखते हुए उक्त सहमति पत्र में मात्र कुटरचित नाम लिखे जाने का फायदा उठाकर पैमाईश [illegible] प्राप्ति कर लिया। उक्त कुटरचित दस्तावेज सहमति पत्र बाबत अप्रार्थी संख्या 2 उगीदेवी ने प्रार्थीगणों के विरूद्व पुलिस थाना रानीवाडा में फौजदारी प्रकरण दर्ज करवा दिया है। कुटरचित दस्तोवजों

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.11.10 10:39:00 IST
Reason: SelfAttested

के आधार पर पैमाईश आदेश प्राप्त कर धारा 111, 128 आर.एल.आर.एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र पेश किया हैं, जो काबिल खारीज हैं। अप्रार्थी संख्या 2 उगीदेवी के खसरा नम्बर 33 व 34 तथा अप्रार्थी संख्या 1 तगा के खसरा नम्बर 35 के बीच माठ पर कोई विवाद कायम नहीं है। प्रार्थीगणों का यह प्रार्थना पत्र पेश करने में शुरू से ही दुराशय रहा है। प्रार्थीगण ने बिना बंटवाडा करवाये अप्रार्थी संख्या 2 की सहमति के बिना अप्रार्थी संख्या 2 की आराजी की पैमाईश करवानी चाही तथा अप्रार्थी संख्या 2 की सहमति के बिना तथा बिना बंटवाडा करवाये पत्थर गड्ढी करवाना चाहते हैं। बिना बंटवाडा पत्थर गढ्ी प्रार्थीगण अपने किस हिस्से की करवाना चाहते है। यह तथ्य प्रार्थना पत्र में कहीं भी स्पष्ट नहीं किया है। सो प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारीज योग्य हैं। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों पर होने तथा अप्रार्थी संख्या 2 को हैरान व परेशान करने की नियत से पेश किया होने से मय खर्चा खारीज फरमाया जावें।

5. पत्रावली मे पेश प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र व संलग्न दस्तावेज व अप्रार्थीगण के जवाब का अवलोकन करने व बहस के तथ्यों पर मनन करने पर पाया कि प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 16.06.2021 को तहसीलदार रानीवाडा से सीमांकन करवाया गया। तथा तहसीलदार रानीवाडा ने अपने जवाब में भी खसरा नम्बर 33 एवं 33, 34 के मध्य सीमा का विवाद होना स्वीकर किया है। व प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत सीमाज्ञान मौका फर्द में भी मौके पर सीमा विवाद होना प्रतित होता है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण मौके पर सीमा विवाद के समाधान हेतु पत्थरगढ़ी करवाना चाहते है। अतः उपरोक्त खसरा नम्बर 33, 34 व 35 के मध्य माठ वादग्रस्त होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतित होता है।

—: आदेश :—

6. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार रानीवाडा को आदेश दिया जाता है कि सरहद आजोद पटवारी मण्डल आजोदर के खसरा नम्बर 33, 34 व 35 के मध्य माठ की पैमाईश कर सीमाज्ञान करवाकर पत्थर गड्डी हेतु एक कमेटी का गठन करवा कर 7 दिवस में पालना प्रस्तुत करें। एवं आप द्वारा गठित टीम को निर्देशित करें कि दोनों पक्षों को सूचित कर उनके रूबरू मोमियों नक्शा ट्रेस सहित लट्ठा नक्शा से पैमाईश करें, तथा सीमांकन कर पत्थर गड्डी करवायें। इस आदेश की पालना हेतु आदेश की प्रति तहसीलदार रानीवाडा को भेजी जावें। पक्षकारान अपना—अपना खर्चा वहन करें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(प्रकाश चन्द्र अग्रवाल)
उपखण्ड अधिकारी
रानीवाडा जिला—जालोर

निर्णय आज दिनांक 05.10.2021 को मेरे द्वारा सरे इजलाज सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.11.10 10:39:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रानीवाड़ा जिला—जालोर